कार्यपालक अभियंता का कार्यालय
ग्रामीण कार्य विभाग कार्य प्रमंडल,भागलपुर

पत्रांक 1155 अनु०   भागलपुर/   दिनांक 13.07.22

प्रेषक,

कार्यपालक अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमंडल, भागलपुर ।

सेवा में,

अपर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी–सह–सचिव
बिहार ग्रामीण पथ विकास अभिकरण,(ब्राडा)
बिहार, पटना।

विषयः– राज्य योजना (NABARD) के अंतर्गत आवंटन की अधियाचना के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि राज्य योजना (NABARD) के भागलपुर के अधीन नाथनगर प्रखंड में लालूचक के पास बर्निंग घाट जमुनिया नदी पर BRPNNL द्वारा निर्गत पुल के पहुँच पथ में निर्माण कार्य हेतु निजी जमीन हेतु रैयती को भुगतान के लिए रू0 38.744 लाख की अधियाचना विहित प्रपत्र में तैयार कर भेजी जा रही है।

अनुरोध है कि आवंटन उपलब्ध कराने हेतु अग्रेतर एवं आवश्यक कार्रवाई करने की कृपा की जाय।

अनु0:– यथोक्त।

विश्वासभाजन

13/7/2022

कार्यपालक अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमंडल भागलपुर।

13/07/2022

Scanned with CamScanner

Rural Works Department

NABARD Requisition for the Month of July-2022

Name of Division : R.W.D Works Division ,Bhagalpur

SL. NO	Year	Name Of Road	Name of Contractor(IN English)	Administrative Sanction			Agreement Amount		Allotment Received (In Lacs)	Total Expenditure as per MIS (In Lacs)	Value Of Measurement (In Lacs)	Current Demand (In Lacs)	Remark
				Length (in KM)	Amount Const +Main (In Lacs)	Amount Land Acqusition (In Lacs)	Main Work	Maintenance					
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13
1	2020-21	Contruction oF aaproch Road of Burnning Ghatt jamuniya river in Bridge Cinstructed By BRPNNL	Land Holders	0.700	63.386	38.74400	-	-	-	-	38.74400	38.74400	For Land Acquisition Payment
Total						38.74400	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	38.74400	38.74400	

Certified that ....

1. All Works have been done as per specification of estimate and agreement
2. All report of laboratory test been received and found satisfactory
3. Works have been supervised by the authority concerened
4. Expenditure is entered in State MIS

Executive Engineer
RWD Works Division
Bhagalpur

13/7/22

13/07/2022

FORM GFR 19A
(See Government of India's Decision (1) below Rule-150)
Form of Utilization Certificate up to the month -July-2022
NABARD CFMS ALLOTMENT (CFMS)
PIU-R.W.D. Works Division Bhagalpur.

S.No.	Name of Scheme	Sanction No & Date with Amount (in	Amount Received (in L	Particulars
1	Construction of Rural Roads Under NABARD(CFMS)	Letter No- .... dated		Certified That Rs. 5,46,10,691.00 Lacs which was receied upto 21-22 in Favor of E.E., R.W.D(W), Division bhagalpur Bihar & a sum of Rs 5,46,09,038.00 Lacs has been utilized for the purpose of NABARD Schemes as given in the margin for which it was sanctioned and that the balance of Rs 1653.00 remaining unutilized at the end of the period under.

0

(i) Works have been supervised by Executive Engineer/Superintending Engineer.
(ii) Periodical inspection has been conducted by Executive Engineer/Superintending Engineer
(iii) Construction material have been tested.
(iv) Measurements have been recorded in the MBs and test check conducted by the Assistant.
(v) All other codal formalities have been observed

3. Physical Progress achieved:
(i) construction of Road Works
(ii) Construction of CD Works

13
DAO
RWD,(W) Div Bhagalpur

13
Executive Engineer
RWD,(W) Div, Bhagalpur

13/07/2022

Scanned with CamScanner

बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग

पत्रांक– मु0 अ0–4 (मु0) ए0 यो0–03–178/2020 – 3407 /पटना, दिनांक– 16/9/20

प्रेषक,

संजय दूबे भा0 प्र0 से0
अपर सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी)
बिहार, पटना।

विषय:– योजना शीर्ष 4515–अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय–103–ग्राम विकास–राज्य योजना–0105–ग्राम विकास की परियोजनाएं (नाबार्ड सम्पोषित योजना) उपशीर्ष के अन्तर्गत राज्य के भागलपुर जिलान्तर्गत कार्य प्रमंडल, भागलपुर के अधीन नाथनगर प्रखंड के लालूचक के पास बर्निंग घाट जमुनिया नदी पर बिहार राज्य पुल निर्माण निगम द्वारा निर्मित पुल के पहुँच पथ का निर्माण कार्य जिसकी लम्बाई 0.700 कि0 मी0 निर्माण कार्य की राशि रू0 57.47 लाख, अनुरक्षण की राशि रू0 5.916 लाख एवं निजी जमीन की राशि 38.744 लाख अर्थात कुल राशि रू0 102.13 लाख (एक करोड़ दो लाख तेरह हजार रूपये) मात्र की लागत पर प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार योजना शीर्ष 4515–अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय–103–ग्राम विकास–राज्य योजना–उप शीर्ष–0105–ग्राम विकास की परियोजनाएं (नाबार्ड सम्पोषित योजना) उप शीर्ष के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2020–21 में बिहार राज्य के भागलपुर जिलान्तर्गत कार्य प्रमंडल, भागलपुर के अधीन नाथनगर प्रखंड के लालूचक के पास बर्निंग घाट जमुनिया नदी पर बिहार राज्य पुल निर्माण निगम द्वारा निर्मित पुल के पहुँच पथ का निर्माण कार्य जिसकी लम्बाई 0.700 कि0 मी0 निर्माण कार्य की राशि रू0 57.47 लाख, अनुरक्षण की राशि रू0 5.916 लाख एवं निजी जमीन की राशि 38.744 लाख अर्थात कुल राशि रू0 102.13 लाख (एक करोड़ दो लाख तेरह हजार रूपये) मात्र की राशि पर प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान किया जाता है।

1. इस योजना को वित्तीय वर्ष 2020–21 एवं 2021–22 में पूरा किये जाने का लक्ष्य है।
2. कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, भागलपुर संबंधित योजना के कार्य सम्पादन हेतु निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी होंगे। कार्य निविदा के माध्यम से कराया जाएगा।
3. योजना के क्रियान्वयन से पूर्व इस पर सक्षम पदाधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त कर ली जायगी।
4. इस योजना का व्यय योजना शीर्ष 4515–अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय–103–ग्राम विकास–राज्य योजना–0105–ग्राम विकास की परियोजनाएं (नाबार्ड ऋण संपोषित योजना)–उपशीर्ष जिसका विपत्र कोड– 37–4515001030105 है, के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2020–21 में उपबंधित राशि से विकलनीय होगा।
5. योजना शीर्ष 4515–अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय–103–ग्राम विकास–राज्य योजना–0105–ग्राम विकास की परियोजनाएं (नाबार्ड ऋण संपोषित योजना) उपशीर्ष के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2020–21 में 300.00 करोड़ रूपये का बजट उपबंध स्वीकृत है।
6. संबंधित कार्यपालक अभियंता द्वारा योजनाओं का वित्तीय एवं भौतिक प्रतिवेदन प्रत्येक माह के पांच तारीख तक ऑनलाईन प्रविष्टि कराते हुए अधीक्षण अभियंता, कार्य अंचल, भागलपुर एवं मुख्य अभियंता के माध्यम से विभाग को निश्चित रूप से उपलब्ध करायेंगे।
7. कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, भागलपुर यह सुनिश्चित करेंगे कि यह योजना किसी अन्य योजना शीर्ष अंतर्गत स्वीकृत नहीं है।
8. इस योजना का चयन माननीय मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग द्वारा संचिका सं0– मु0 अ0–2 (मु0) नाबार्ड–03–97/2014 के पृ0 सं0–29/टि0 पर दिनांक 08.09.2020 को किया गया।
9. इस योजना की स्वीकृति सक्षम प्राधिकार सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग द्वारा संचिका सं0– मु0 अ0–4 (मु0) ए0 यो0–03–178/2020 के पृ0 सं0–03/टि0 पर प्राप्त है।
10. ... के निर्धारित प्रावधान/प्रक्रिया के आलोक में बजट प्रावधान के अंतर्गत राशि ...

Scanned with CamScanner

11. कार्यपालक अभियंता (PIU) का उत्तरदायित्व होगा कि कार्यों का विशिष्टियों/ [illegible] कार्यान्वित करा कर एकरारनामा एवं सुसंगत वित्तीय प्रावधानों के पालन उपरान्त [illegible] होकर ही राशि की निकासी एवं व्ययन करेंगे।
12. वित्त विभाग के संकल्प संख्या–3768 दिनांक 31.05.2017 में निहित निदेशों का अक्षरशः [illegible] किया जायेगा तथा बिहार वित नियमावली के सुसंगत प्रावधानों के आलोक में उपबंधित राशि [illegible] उपलब्धता के आधार पर व्यय की जायेगी।
13. यह आदेश आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त कर निर्गत किया जा रहा है। आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका सं0– मु0 अ0–4 (मु0) रा0 यो0 03–178/2020 के पृ0 सं0–06/टि0 पर दिनांक 14-9-2020 को प्राप्त है।
14. यह राशि उसी मद में खर्च की जायेगी, जिसके लिए पुनर्विनियोजित की गयी है, अन्य मद में नहीं।
15. प्राक्कलन की विशिष्टताओं के अनुसार निर्धारित समयावधि के अंदर कार्य पूर्ण कराना सुनिश्चित किया जायेगा।
16. योजना के कार्यान्वयन के क्रम में इनका निर्धारित निरीक्षण सरकार से निर्गत आदेशों में प्रावधानित सक्षम नियंत्री पदाधिकारियों द्वारा नियमित अंतराल पर अनिवार्य रूप से किया जायेगा एवं कार्यो को ससमय तथा गुणवत्तापूर्वक संपन्न कराना सुनिश्चित कराया जायेगा। योजना के कार्यान्वयन में अनियमितता की स्थिति में दोषी पदाधिकारी उत्तरदायी माने जायेंगे।
17. वित्त विभाग के पत्रांक–770, दिनांक 20.09.11 के द्वारा सूचित किया गया है कि RIDF के अन्तर्गत नई परियोजनाओं की प्रशासनिक अनुमोदन प्राप्त करने के उपरान्त ही स्वीकृति हेतु नाबार्ड को भेजी जाये।

विश्वासभाजन

16/9/2020

(संजय दूबे)
अपर सचिव

ज्ञापांक– मु0 अ0–4 (मु0) रा0 यो0–03–178/2020 – 3407 /पटना, दिनांक–16/9/2020

प्रतिलिपि– महालेखाकार (लेखा परीक्षा) बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

16/9/2020

अपर सचिव

ज्ञापांक– मु0 अ0–4 (मु0) रा0 यो0–03–178/2020 – 3407 /पटना, दिनांक–16/9/2020

प्रतिलिपि– कोषागार पदाधिकारी, निर्माण भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

16/9/2020

अपर सचिव

ज्ञापांक– मु0 अ0–4 (मु0) रा0 यो0–03–178/2020 /पटना, दिनांक–

प्रतिलिपि– माननीय मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग के आप्त सचिव/प्रधान सचिव, योजना एवं विकास विभाग/वित्त विभाग (आय–व्यय शाखा)/आंतरिक वित्तीय सलाहकार, ग्रामीण कार्य विभाग/मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग/कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग/प्रमंडलीय आयुक्त, भागलपुर/जिला पदाधिकारी, भागलपुर/उप विकास, आयुक्त, भागलपुर/अभियंता प्रमुख, ग्रामीण कार्य विभाग/सचिव सह इम्पावर्ड ऑफिसर ब्राडा/मुख्य अभियंता–2, पटना ग्रा0 का0 वि0/मु0 अ0–4 (मुख्यालय) ग्रा0 का0 वि0/अधीक्षण अभियंता, ग्रा0 का0 वि0, कार्य अंचल, भागलपुर/कार्यपालक अभियंता, ग्रा0 का0 वि0 कार्य प्रमंडल, भागलपुर/मुख्य महाप्रबंधक, नाबार्ड; बिहार क्षेत्रीय कार्यालय (मौर्या कम्पलेक्स पाँचवीं मंजिल) डाक बंगला रोड, पटना, आई0 टी0 मैनेजर, ग्रा0 का0 वि0 को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

16/9/2020

अपर सचिव

Scanned with CamScanner